न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 254 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 337)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. नाजम सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी मलकानाकलां, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. गुरबचन सिंह पुत्र धन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी मलकानाकलां, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. निर्मल सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी मलकानाकलां, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. बलविन्द्र कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी मलकानाकलां, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी मलकानाकलां, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

तारीख रजू:– 31.07.2023

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी
2. श्री ईकबाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

—निर्णय— दिनांक : 13.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार हल्का मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 34 / 29 के मुरब्बा नम्बर 42, 43 में कुल क्षेत्रफल 8.930 हैक्टर नहरी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 42 व 43 का रकबा वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 जगदीप सिंह पुत्र जंग सिंह से जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 11.04.1974 से खरीद की हुई है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1, उसके भाई गुरजन्ट सिंह व मेजर सिंह ने भी मुरब्बा नम्बर 42 व 43 का रकबा जगराज सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी तहसील श्रीकरनपुर से जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 11.04.1974 से खरीद की हुई है। उक्त वर्णित रकबा मुरब्बा नम्बर 42 व 43 में खरीद की दिनांक 11.04.1974 से पूर्व सिंचाई खाला को लेकर, कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, गंगनहर उतरखण्ड, श्रीगंगानगर में एक प्रकरण विचाराधीन था, जिसमें कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, गंगनहर उतरखण्ड, श्रीगंगानगर ने उक्त पत्रावली का विचारण करने के पश्चात् दिनांक 01.04.1971 को चक 2 टी के मुरब्बा नम्बर 41 व 42 के किला नम्बर 1 से 5 में सिंचाई खाला स्वीकृत किया गया था। सिंचाई खाला स्वीकृत होने के पश्चात् सिंचाई विभाग के समस्त रिकार्ड में मुरब्बा नम्बर 41 व 42 में किला नम्बर 1 से 5 में सरकारी सिंचाई खाला चल रहा है और उनका इन्द्राज भी सिंचाई विभाग में हो चुका है। वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 से 5 में संचालित खाला काफी समय पक्का भी स्वीकृत होकर, संचालित है, जिसका उपयोग व उपभोग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तथा अन्य काश्तकारो द्वारा किया जा रहा है और उसी अनुरूप फसल को सिंचाई हो रही है, लेकिन राजस्व जमाबंदी में मुरब्बा नम्बर 1 से 5 में उक्त स्वीकृत सिंचाई मार्ग का इन्द्राज नहीं है। इस कारण वादी उक्त मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 5 में संचालित सिंचाई खाला का इन्द्राज जमाबंदी में करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा अपने नाम से दर्ज भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

34/4465 हिस्सा यानि 0.068 हैक्टर भूमि का रकबा खाला के लिए रखा था और उक्त खाला स्वीकृत होने पर उक्त भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेख में खाला के रूप में करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी व उसके परिवार को आश्वासन किया था कि वह जल्द ही उक्त 34/4465 हिस्सा राजस्व अभिलेख में खाला के रूप में अंकित करवा देगा, क्योकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा भूमि खरीद करते समय उक्त 0.068 हैक्टर भूमि की भी कीमत प्रतिवादी संख्या 4 को अदा की जा चुकी थी। इसी विश्वास के आधार पर वादी व उसका परिवार आज तक मुरब्बा नम्बर 41 व 42 में संचालित खाला का नामांतरण राजस्व अभिलेख में नही करवा सके और इसी कारण 0.068 हैक्टर रकबा आज भी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी ने मुरब्बा नम्बर 42 में संचालित खाला व सिंचाई विभाग के आदेश दिनांक 01.04.1971 के अनुरूप एवं नहरी रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी में खाला भूमि दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 0.068 हैक्टेयर रकबा भी खाला के रूप में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार व राजस्व पटवारी से आग्रह किया तो उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 का 0.068 हिस्सा को खाला के रूप में जोड़ा जावे एव उसका नाम राजस्व जमाबंदी से हटाया जावे, तो उनके द्वारा संबंधित न्यायालय में वाद पत्र दायर कर, संबंधित अनुतोष प्राप्त करने हेतु हिदायत दी गयी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर, राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार हल्का मलकाना कलां की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नं० 42, 43 में कुल क्षेत्रफल 8.930 हैक्टर नहरी भूमि क्रमांक संख्या 4 पर दर्ज नाम जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह का नाम हटाया जाकर उसके नाम दर्ज 0.068 हैक्टर भूमि को जमाबंदी में खाला की भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 314 दिनांक 09.02.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर चक 2 टी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 5 में पक्का खाला वर्तमान में चल रहा है। मौके पर गांव वालों से पूछताछ अनुसार जगदीप सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख नाम का व्यक्ति खरीद की दिनांक से गांव में नहीं रहता है व जगदीप सिंह पुत्र जंग सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा, जो मौके पर कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर खाला संचालित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राक 789 दिनांक 02.05.2024 के अनुसार चक 2 टी के मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर नम्बर 127/102 के किला नम्बर 1 ता 5 में से मुरब्बा नम्बर 41 की सिंचाई व्यवस्था हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता के आदेश क्रमांक 2778 दिनांक 01.04.1971 द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। वर्तमान वस्तुस्थिति अनुसार मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 5 में स्वीकृत खाला पक्का निर्मित है तथा इसी खाला पर मुरब्बा नम्बर 41 की बारी बांधी जाकर उपलब्ध करवाई जा रही है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 34/29 की छायाप्रति, चक प्लान की छायाप्रति, जल उपयोक्ता संगम तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 42, 43 की कुल 8.930 हैक्टेयर नहरी भूमि में क्रम संख्या 4 जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह के नाम दर्ज 0.068 हैक्टेयर नहरी भूमि को गै.मु.खा. अंकित किया जाकर जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह का नाम हटाए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार मौके पर चक 2 टी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 5 में पक्का खाला वर्तमान में चल रहा है। मौके पर गांव वालों से पूछताछ अनुसार जगदीप सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख नाम का व्यक्ति खरीद की दिनांक से गांव में नहीं रहता है व जगदीप सिंह पुत्र जंग सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा, जो मौके पर कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर खाला संचालित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पत्रांक 789 दिनांक 02.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 2 टी के मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर नम्बर 127/102 के किला नम्बर 1 ता 5 में से मुरब्बा नम्बर 41 की सिंचाई व्यवस्था हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता के आदेश क्रमांक 2778 दिनांक 01.04. 1971 द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। वर्तमान वस्तुस्थिति अनुसार मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 5 में स्वीकृत खाला पक्का निर्मित है तथा इसी खाला पर मुरब्बा नम्बर 41 की बारी बांधी जाकर उपलब्ध करवाई जा रही है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 42, 43 की कुल 8.930 हैक्टेयर नहरी भूमि में क्रम संख्या 4 जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह के नाम दर्ज 0.068 हैक्टेयर नहरी भूमि को गै.मु.खा. अंकित किया जाकर जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह का नाम हटाए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

नाजम सिंह बनाम गुरबचन सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर 254/2023

निर्णय दिनांक :- 13.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित होने** पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 42, 43 की कुल 8.930 हैक्टेयर नहरी भूमि में क्रम संख्या 4 जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह के नाम दर्ज 0.068 हैक्टेयर नहरी भूमि को गै.मु.खा. अंकित किया जाकर जगदीप सिंह पुत्र जग सिंह का नाम हटाए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 13.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 13.05.2024

क्रमांकः रीडर/2024/186

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)